न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 38/2007/223 आर टी ए

कृष्ण पुत्र नोपाराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र कलावती उर्फ परमेश्वरी पुत्री भादर जाति मेघवाल निवासी सुरेशं तहसील ऐलनाबाद हरियाणा।
2. नोपा पुत्र बीरबल (फौत)

2/1 कौशल्या पुत्री नोपाराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2/2 मीरा पुत्री नोपाराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
2/3 बिदामी पत्नि नोपाराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।

3. मांगीराम पुत्र नोपाराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5. नत्थुराम पुत्र सुरजाराम (फौत)

5/1 शांति पत्नि नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5/2 कमला पुत्री नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5/3 शारदा पुत्री नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5/4 विद्या पुत्री नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5/5 बाधु पुत्री नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5/6 संतो पुत्री नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5/7 सूर्या पुत्री नत्थुराम (फौत)

5/7/1 जसवंत पुत्र सूर्या पुत्री नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5/7/2 तीजा पुत्री सूर्या पुत्री नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।
5/7/3 किरण पुत्री सूर्या पुत्री नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।

5/8 मांगीलाल पुत्र नत्थुराम जाति मेघवंशी निवासी लाखासर तहसील नोहर।

6. धर्मपाल पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
7. सुभाष पुत्र रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2007 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर
प्र0सं0 31/2004 अनवानी धर्मपाल बनाम नोपा आदि

उपस्थित :–

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री महेश चन्द शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 व 5/8
श्री सन्तलाल तिवाड़ी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2/1 से 2/3 व 3

निर्णय दिनांकः–01.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया कि बीरबल राम के नाम मौजा लखासर मे कृषि भूमि थी जो बाद मे बीरबल के तीन पुत्र सुरजाराम, भादर व नोपाराम पर औद हुई

जो कुल 144.18 बीघा भूमि थी। उक्त भूमि तीनो ने खाता विभाजन करवा लिया। वादी के नाना के नाम कुल 48.06 बीघा भूमि हिस्से मे आई। मु0 भादर का देहान्त हो चुका था उसकी एक मात्र वारिस वादी माता मु0 कलावती उर्फ परमेश्वरी भी पूर्व मे फौत हो चुकी है। उक्त भादर के भूमि का वारिस वादी है जिसकी घोषणा वादी करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद वादी स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून व नियम विरूद्ध है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात पर कोई गौर न कर कतई नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर वादी रेस्पो0 का कोई कब्जा नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री कर दिया। विवादित भूमि प्रतिवादी के नाम एसडीओ साहब नोहर के अदालत मे अनवानी कृष्ण बनाम नोपाराम आदि की डिक्री पर सन् 1999 के आधार पर प्रतिवादी अपीलांट के नाम दर्ज है। उक्त निर्णय की अपील होने पर भी बहाल रही है तथा विचारण न्यायालय प्रतिवादी का नाम जब तक उक्त डिक्री निरस्त न हो जाये तब तक हटाया नही जा सकता है। फिर भी विचारण न्यायालय ने सन् 1999 के निर्णय जो स्वयं द्वारा डिक्री किया गया था खारिज कर दिया। जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज नही कर सकता है। वादी रेस्पा0 सं. 1 भादर की लड़की का नही बल्कि नोपा की लड़की का पुत्र है तथा विवादित भूमि मे कोई हक हिस्सा नही है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पर कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात के अनुसार ग्राम पंचायत लाखासर तहसील नोहर सन् 1983–84 बाबत नामान्तरण तस्दीक भादर पुत्र बिरबलराम की खातेदारी भूमि जिसमे पूरी जांच कर भाददराम के नजदीकी वारिसान उसके भाईयों नोपाराम व सुरजाराम को मानते हुए तस्दीक किया है तथा भाददराम के कोई लड़का व लड़की नही होना गांव के मौजिज व्यक्ति के ब्यान लिये गये है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादी/रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर अपने नाना भादर के नाम दर्ज आराजी भूमि के संबंध मे घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। वादग्रस्त भूमि वादी के नाना भादर राम की है जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा भादर की एक मात्र वारिस वादी माता मु0 कलावती

उर्फ परमेश्वरी भी पूर्व मे फौत हो चुकी है। वादी मु. कलावती उर्फ परमेश्वरी का एक मात्र वारिस है इसलिए वादग्रस्त भूमि जो भादरराम के नाम दर्ज थी, की अपने नाम घोषणा करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया। वादी का ग्राम पंचायत द्वारा भादरराम का वारिस मानते हुए वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसकी प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत वह लगभग 11 वर्ष से भी अधिक समय बाद प्रस्तुत किये जा रहे है जो स्वीकार योग्य नही है। उक्त दस्तावेज सन् 1984 के बताये है जिन्हे करीब 33 वर्ष हो गये है आज तक पेश न किये जाने का कोई विधिक कारण नही बताया। उक्त दस्तावेज विचारण न्यायालय मे पेश होते तो इन पर साक्ष्य हो सकती थी। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट वगैरा के विरूद्ध थाना मे एफआईआर दर्ज करवाई थी वहां भी पेश नही किये थे। इसलिये सदभावना से पेश नही है। इसलिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज करते हुए अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि इजराय, प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत लाखासर आज्ञाओ की सूची, प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत लाखासर प्रार्थना पत्र, आपत्ति मांग व नोटिस, प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत लाखासर शपथ पत्र ब्यान गवाह आदि अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोजात जमाबंदी आदि एवं ग्राम पंचायत लाखासर के वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर रोही मौजा लाखासर मे कुल 144.18 बीघा भूमि वादी रेस्पो0 के मुतबफी बीरबल राम की स्वयं की पैदा कर्दा भूमि माना और बीरबल के तीन पुत्र सुरजा, भादर व नोपाराम होना व भादर की पुत्री कलावती जो वादी की माता है अकेली संतान होने से 48.06 बीघा भूमि भादर कीर हिस्से मे आई भूमि की हकदार हुई मानते हुए वादी रेस्पो0 सं. 1 जो भादर का वारिस बतलाता है, के नाम उक्त भूमि घोषणा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जिसके अनुसार भादरराम की भूमि बाबत भादरराम की वारिस के संबंध मे ग्राम पंचायत लखासर मे दिनांक 22.10.1983 को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर भादरराम के वारिस उसके भाई सुरजाराम व नोपाराम है, मे नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नोटिस

आपत्ति हेतु जारी किये गये बार बार नोटिस जारी करने पर कोई आपत्ति नही आने पर तथा मौजिज व्यक्तियों बतौर गवाह ब्यान करवाये जाने के उपरांत भादरराम की भूमि के वारिस उसके भाई सुरजाराम व नोपाराम का मानते हुए भादरराम की भूमि सुरजाराम व नोपाराम को बहिस्सा बराबर दी गई। उक्त ग्राम पंचायत लाखासर की कार्यवाही के नामान्तरण तस्दीक होकर भादरराम के भाई सुरजाराम व नोपाराम के नाम दर्ज हुआ। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दस्तावेजात अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये थे। परन्तु अपील के दौरान उक्त दस्तावेज प्रस्तुत होने पर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे उक्त दस्तावेज को मध्यनजर रखते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलांट को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2007 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपील मे प्रस्तुत दस्तावेजात को मध्यनजर रखते हुए दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पुनः नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 158/2015/223 आर टी ए

मन्दरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. नूरनिशा पत्नि स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
2. जुल्फकार पुत्र स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
3. शकुरा पुत्री स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
4. गुरमेलसिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
5. इन्द्रसिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
6. कौर सिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
7. गुरनाम सिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
8. जरनैल कौर पुत्री आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
9. छिन्द्र कौर पुत्री आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
10. किरणजीत कौर उर्फ रानी पुत्री नरसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
11. केवल सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
12. रणधीर सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 09.10.2014 व डिक्री दिनांक 17.10.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 251/2013 अनवानी नूरनिशा बनाम सरकार

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री नरेश पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3, श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 ता 12 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 13 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ

है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 मे अंकित भूमि मे से बैयनामा दिनांक 02.08.1976 मे वर्णित भूमि प.न. 78/274 कि.न. 24 व प.न. 78/275 कि.न. 4 कुल 2.00 बीघा कम की जाकर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 ता 12 उक्त 2.00 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 यथावत रखा रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.10.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ